

15-11-21

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम 6844 रायसिंहनगर

बनाम सरकार

नम्बर 311 सन 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
15/11/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सिमेज</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/मू.अ./प्र.मां.सं.अ./2021/829 दिनांक <u>15/11/2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के सग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>6844</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>6844</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2076-78</u> के खाता सं. <u>36</u> में <u>मोहनसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र</u> <u>हरी</u> के स्थान पर <u>मोहनसिंह उर्फ हनुमानसिंह</u> <u>पुत्र हरीसिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सिमेज</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>6844</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2076-78</u> के खाता सं. <u>36</u> में <u>मोहनसिंह उर्फ</u> <u>हनुमानसिंह पुत्र हरी</u> के स्थान पर <u>मोहनसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र</u> <u>हरीसिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर तखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

